हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकार्थीगण उप. अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन चाहा। प्राप्त किया जाकर पत्रावली दिनांक 12-2-19 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
9	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रकार्थीगण उप. प्रार्थना पत्र कि बाबत सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 19-3-19 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
19	पत्रावली पेश हुई। ... उपस्थित/आज पीठासीन अधिकारी ... भ्रमण में है। अतः पत्रावली आइन्दा दिनांक 25-3-19 को पूर्व ओदश की पालना में पेश हो। [initials]	
19	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रकार्थीगण उप. पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र निर्णय हेतु दिनांक 26-3-19 को पेश हो। [signature] सहायक कलेक्टर, पिण्डवाड़ा	
	26-3-19 पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रकार्थीगण अनुपस्थित। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र निर्णय हेतु दिनांक 3-4-19 को पेश हो। [signature]	
3.4.19.	प्रस्तुत पत्रावली में CPC. 09.R.13 पर बहस सुनी गयी। प्रार्थी वकील श्री उमेश पटेल द्वारा बताया कि ग्राम आबासना में 10 बीघा कृषिभूमि जो कि आ. नं. 775, 776, 849	

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, पिण्डवाड़ा (सि

श्री .... बनाम श्री ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर........................ सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की में जारी हु
	करने हेतु निवेदन किया कि उनके पूर्व वकील ने न तो जवाबदावा पेश किया और न ही प्रकरण में समुचित पैरवी की एकतरफा कार्यवाही हो जाने का भी प्रार्थी के संज्ञान में नहीं था न ही उनके वकील द्वारा ही संज्ञान में लाया गया। प्रथम बार दि: 01.8.2017 को प्रथम बार जानकारी तब हुयी जब डिक्री होने के बाद अप्रार्थीया द्वारा उनकी खड़ी फसल को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तब उन्होंने अपने वकील से संपर्क किया तो पता कि एकपक्षीय कार्यवाही हो गयी है एवं आप नकल ले लिजिए तब नकल ली। दिनांक 1/8/16 को जवाबदावा बंद किया गया और 29.08.16 को एकतरफा कार्यवाही की सूचना होते ही बिना देरी	

अप्रार्थी के वकील ने जवाब में तर्क दिया कि 23 8/16 को एकपक्षीय आदेश होने के पूर्व 9 पेशीयों पर हाजिर हुए लेकिन जवाबदावा पेश नहीं किया और नोटिस तामील होने के पश्चात 10 माह व 1½ साल का समय लिया गया जो कि म्याद अधिनियम धारा 5 में घातक Delay माना जाएगा अतः प्रार्थनापत्र अस्वीकार फरमाया जावे।

प्रत्युत्तर में वकील प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थीगण भील जाति के हैं जो कि अनुसूचित वर्ग में आता है जो कि मजदूर पेशा होकर पत्थर घड़ाई का कार्य करते हैं एवं बाहर भी जाते हैं।

हमने प्रार्थनापत्र के उभयपक्षों के अधिवक्तागण के कथन एवं प्रार्थी अधिवक्ता के प्रत्युत्तर पर चिन्तन किया तो स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि जब प्रार्थी Rebetal में यह स्वीकारोक्ति करते हैं कि प्रार्थी मजदूर पेशा है और बाहर जाते रहते हैं तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उनको प्रकरण की जानकारी तो होगी ही लेकिन बदनियत वकील द्वारा उपस्थिति देने व आगे

ही प्रकरण में जवाबदावे हेतु नियत समय तक ही न्यायालय द्वारा समय दिया जा सकता है वकील भी 10 माह व 1½ वर्ष तक अपने Client का इंतजार करें और न्यायालय द्वारा समय-पर समय दिया जाता रहे यह कतई न्यायोचित नहीं होने से न्यायालय हाज़ा द्वारा समयबद्ध निस्तारण किया गया है जिसे अपास्त करके पुन: नंबर पर लेने की कोई आवश्यकता विधिक रूप से व प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी प्रतीत नहीं होती। अत: न्यायालय का निर्णय उचित सारभूत व विधिक होने से किसी प्रकार के पुन:हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 9 13. अस्वीकार किया जाता है।

पत्रावली नंबर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय सर इजलास सुनाया